अध्याय IV
छूटें

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5 क(1) के अन्तर्गत, सरकार, ऐसे शर्तों, जो छूट प्रदान करने वाली अधिसूचना में निर्दिट हो, के अधीन उत्पाद शुल्क लगने वाले माल को, उस पर उदग्राह्य पूरे या किसी अंश के शुल्क से छूट देने के लिए समर्थ है। अनुवर्ती पैराग्राफों में शुल्क की उगाही से कुल ₹ 3.23 करोड़ की गलत अनुमत छूट के कुछ व्याख्यात्मक मामले दिये गये हैं। पाँच आडिट पैराग्राफों के माध्यम से मंत्रालय को ये आपत्तियां सूचित की गई थी। विभाग ने (दिसम्बर 2010 तक) ₹ 74.18 लाख के वित्तीय प्रभाव को एक ड्राफ्ट आडिट पैराग्राफ की आपति स्वीकार की थी।

4.1 अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा वित्त पोषित एक परियोजना को आपूर्त माल पर छूट

दिनांक 28 अगस्त 1995 की यथा संशोधित अधिसूचना भारत सरकार द्वारा अनुमोदित और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा वित्त -पोषित परियोजनाओं को आपूर्त माल पर उत्पाद शुल्क की छूट देती है, बशर्ते कि ऐसे माल की निकासी से पहले उपयुक्त प्राधिकारी से प्राप्त निर्धारित प्रमाण -पत्र प्रस्तुत किया जाये।

4.1.1 इन्दौर कमिश्नरी में कन्डक्टरों के विनिर्माण में कार्यरत मै. हिन्दुस्तान विद्युत प्रौडक्टस लिमिटेड ग्वालियर ने विश्व बैंक द्वारा वित्त-पोषित दो परियोजनाओं के लिए आपूर्त इलैक्ट्रिक कन्डक्टरों पर छूट का लाभ लिया। हमने पाया कि छूट का दावा करने के लिए प्रयुक्त प्रमाण-पत्र निर्धारती के नाम पर नहीं था। अपितु मै. हिन्दुस्तान विद्युत प्रोडेक्टस लिमिटेड, नई दिल्ली के नाम था। इसके अतिरिक्त, अधिकारक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, ग्वालियर ने अप्रैल 2009 में उपर्युक्त अधिसूचना के अधीन कन्डक्टरों की निकासी के लिए प्रार्थना अस्वीकार की थी। तथापि, निर्धारती ने सहायक आयुक्त के निर्णय की अवहेलना की और उक्त अधिसूचना का हवाला देते हुए जनवरी 2009 से मार्च 2009 तक शुल्क अदा किये बिना ₹ 6.59 करोड़ के मूल्य के कन्डक्टरों की निकासी की। इसके परिणामस्वरूप गलत छूट का लाभ लिया गया और ₹ 63.50 लाख का लागू शुल्क ब्याज सहित के साथ वसूली योग्य था।

जब हमने यह इंगित किया (जुलाई 2009), तो विभाग ने बताया (अक्तूबर 2009) कि ₹ 1.38 करोड़ के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा था।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2010)।

4.1.2 हलदिया कमिश्नरी में पैट्रोलियम उत्पादों के विनिर्माण में कार्यरत मै. इण्डियन आयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ने सरकार द्वारा अनुमोदित और अन्तर्राट्रीय संगठनों द्वारा वित्त-पोषित विभिन्न परियोजनाओं के लिए बिटूमैन की निकासी की और उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत शुल्क से छूट का लाभ उठाया। इसके परिणामस्वरूप 2008-09

के दौरान ₹ 74.18 लाख की छूट का गलत लाभ हुआ ,जो कि ब्याज और शास्ति समेत वसूली योग्य था।

जब हमने यह इंगित किया (सितम्बर 2008), तो विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की और बताया (मई 2010) कि कारण बताओ एवं मांग नोटिस जारी किया जा रहा था

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2010)।

4.2 आन्तरिक रूप से उपभुक्त सामान पर छूट

4.2.1 दिनांक 16 मार्च 1995 की अधिसूचना जिसे दिनांक 1 मार्च 2003 की अधिसूचना से संशोधित किया गया था, में सभी पूंजीगत माल और उत्पादन की फैक्ट्री में आन्तरिक रूप से उपभुक्त विशिष्ट इनपुटों को उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट प्रदान करती है। उपरोक्त अधिसूचना का खण्ड (vi) में प्रावधान है कि छूट का लाभ शुल्क योग्य और छूट प्राप्त अन्तिम उत्पादों के एक निर्माता द्वारा सेनवेट क्रेडिट नियमावली के नियम 6 में निर्धारित दायित्वों से मुक्त होने के बाद लिया जा सकता है।

सेनवेट क्रेडिट नियमावली के नियम 6 में परिकल्पित है कि जहाँ एक निर्धारिती अन्तिम उत्पाद का निर्माण करता है जिसका कुछ भाग शुल्क हेतु प्रभार्य है और कुछ भाग को छूट प्राप्त हो किन्तु वह इनपुट और इनपुट सेवाओं, जोकि अन्तिम उत्पादों की दोनों श्रेणियों में प्रयोग हेतु हो, पर शुल्क का क्रेडिट लेता हो, को विकल्प लेना होता है कि या तो प्रयोग किए गए इनपुट का रखरखाव अलग लेखे में करना होता है या छूट प्राप्त समान के मूल्य के दस प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करना होता है।

मेरठ-II कमिश्नरी में मैसर्स धामपुर शुगर मिल्स लि0 धामपुर, जो वी पी शुगर, मोलेसिस, रेक्टीफाइड स्पिरिट और रसायन का निर्माता है ने अप्रैल 2008 और जून 2009 के बीच आन्तरिक रूप से उपभोग हेतु 1,44,184 क्विंटल मोलेसिस की निकासी की। मोलेसिस का प्रयोग 30,42,000 लीटर रेक्टीफाइड स्पिरिट के उत्पादन क लिए किया गया जिसे शून्य की शुल्क दर पर बेचा जाता था। हमने देखा कि निर्धारिती ने 2008-09 के दौरान ₹1.27 करोड़ का सेनवेट क्रेडिट सुरक्षा एजेंसी सेवाओं, टेलीफोन, बीमा, तकनीकी परामर्श, परिवहन, मरम्मत और रखरखाव इत्यादि जैसी सामान्य इनपुट सेवाओं पर लिया, किन्तु उन इनपुट सेवाओं के लिए अलग खाते का रखरखाव नही किया जिनका प्रयोग शुल्क और छूट प्राप्त माल के निर्माण में किया जाता था। निर्धारिती ने रेक्टिफाइड स्पिरिट के मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान नहीं किया जाकि ऊपर उल्लिखित विज्ञप्ति के अंतर्गत छूट प्राप्त करने हेतु वांछित था। इस प्रकार ₹ 1.08 करोड़ की ली गई छूट ब्याज सहित वसूली योग्य है।

हमने इसके बारे में विभाग/मंत्रालय को सितम्बर 2009/अक्तूबर 2010 में सूचित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

4.2.2 अन्तिम माल के निर्माण के लिए उत्पादित और प्रयोग किए जाने वाला उत्पाद शुल्क योग्य माल दिनांक 16 मार्च 1995 की एक अधिसूचना के अंतर्गत शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है बशर्ते की अंतिम उत्पाद पर शुल्क प्रभारित हो।

मेरठ-I कमिश्नरी में मैसर्स बैकवैल एगरो लि. ने शुगर सिरप (उत्पाद शुल्क योग्य) का उत्पादन किया और मार्च 2007 से मई 2008 की अवधि के दौरान बिस्कुटों (छूट प्राप्त) के उत्पादन में इसका उपभोग किया था। निर्धारिती ने ऊपर उल्लिखित छूट प्राप्त करते हुए शीरे पर किसी शुल्क का भुगतान नही किया। चूंकि बिस्कुटों को शुल्क से छूट प्राप्त है, शीरे पर ली गई छूट सही नहीं थीं। निर्धारिती ₹ 7.05 लाख के शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी था, जिसकी ब्याज सहित ₹ 1.82 लाख की वसूली (मार्च 2010 तक) की जानी थी।

जब हमने इसके बारे में ध्यान दिलाया (नवम्बर 2007), विभाग ने सूचना दी (दिसम्बर 2009) की एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा था।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

4.3 उत्पादन से संबंधित छूट

पान मसाला पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण और शुल्क का संग्रहण) नियम 2008, में प्रावधान है कि एक निश्चित माह के लिए पान मसाले के उत्पादन के लिए देय शुल्क माह के दौरान फैक्ट्री में परिचालित पैकिंग मशीनों की संख्या पर आधारित होगी। उस मामले में यदि एक फैक्ट्री निरन्तर 15 दिन या अधिक अवधि के दौरान उत्पादन नहीं करती तो ऐसी अवधि के संबंध में एक आनुपातिक आधार पर शुल्क की गणना पर छूट होगी।

गुवाहाटी कमीश्नरी में मैसर्स धरमपाल सत्यपाल लि. (शैड सं. 39 और 37 ए) गोवाहाटी जो रजनीगंधा पान मसाला {(1.6 ग्राम पाऊच, तुलसी रोयल गोल्ड 1.75 ग्राम पाऊच (खुदरा बिक्री मूल्य 2.50 प्रति पाऊच)} का उत्पादन करती है ने फरवरी 2009 माह के दौरान पांच पैकिंग मशीनों के लिए ₹1.30 करोड़ (₹26 लाख प्रति मशीन) की राशि के उत्पाद शुल्क का भुगतान किया और उसके बाद उस माह के लिए ₹ 68.92 लाख की छूट ली जबकि फैक्ट्री ने फरवरी के दौरान 15 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए लगातार अपना उत्पादन बंद नहीं किया था। इस प्रकार ₹68.92 लाख की छूट स्वीकार्य नहीं थी और राशि ब्याज सहित वसूली योग्य थी।

जब हमने यह सूचित किया (फरवरी 2010), विभाग ने बताया (मई 2010) कि इन अनियमितताओं का उनके आन्तरिक लेखापरीक्षा दल द्वारा अप्रैल 2009 में बताया गया था और एहतियाती मांग भी जारी कर ही गई थी।

तथापि, एक वर्ष तक की गई कार्रवाई पर अनुसरण नहीं किया गया और केवल सी ई आर ए द्वारा मामला उठाए जाने पर मार्च 2010 में कारण बताओ नोटिस जारी किया

गया था। विभागीय उत्तर, मांग उठाने में विलम्ब के लिए कौन उत्तरदायी था, का स्पष्टीकरण नहीं करता।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं किया गया था (दिसम्बर 2010)।